इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2022—आषाढ़ 14, शक 1944

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2022

फा. क्र. 54ए-2022-चार-वि.निर्वा.-165.—भारत निर्वाचन आयोग की उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2022 के लिए निर्वाचन की लोक सूचना की दिनांक 05 जुलाई 2022 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजेश कुमार कौल, अपर सचिव.

लोक सभा सचिवालय

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए
रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

भारत के उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं **उत्पल कुमार सिंह**, सूचना देता हूं कि -

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कमरा नं. 18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर, श्री पी. सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय **अथवा श्री राजू** श्रीवास्तव, निदेशक, लोक सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में **19 जुलाई, 2022** के अनुपरान्त (लोक अवकाश - दिन से भिन्न) किसी दिन **पूर्वाह्न 11 बजे और अपराह्न 3 बजे** के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रूपए की राशि जमा करेगा या जमा करवायेगा । यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चातकथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा कमरा नं. 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में **बुधवार, 20 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे** की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में **22 जुलाई, 2022 को अपराह्न 3 बजे से पहले** परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थान में **शनिवार, 6 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के बीच होगा ।**

नई दिल्ली,
दिनांक 5 जुलाई, 2022

हस्ता./-
(उत्पल कुमार सिंह)
उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022
के लिए रिटर्निंग आफीसर
और
महासचिव, लोक सभा.

LOK SABHA SECRETARIAT
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER
FOR VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2022

PUBLIC NOTICE
OF
ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that–

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. 18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Shri P. C. Tripathy, Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat or Shri Raju Srivastava, Director, Lok Sabha Secretariat at the said office between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the **19th July, 2022**;

(ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees fifteen thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

(iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid;

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi on **Wednesday, the 20th July, 2022 at 11 A.M.**;

(vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorized in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before **three o'clock in the afternoon of 22nd July, 2022**;

(vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on **Saturday, the 6th August, 2022** between the hours of **10 A.M. and 5 P.M.** at the place of polling fixed under the rules.

Sd./-
(UTPAL KUMAR SINGH)
Returning Officer for
the vice-Presidential
Election, 2022
and
Secretary-General,
Lok Sabha.

Place : New Delhi
Dated the 5th July, 2022

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.